104/2015 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 104/2015 अनवानी तजेन्द्रसिंह पुत्र मनजीत सिंह पुत्र नथासिंह जाति जटसिख निवासी 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर बनाम 1—गुरजीतसिंह पुत्र हरजीत सिंह पुत्र नथा सिंह जाति जटसिख निवासी 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर 2—कुलविन्द्रजीत सिंह 3—हरिन्द्रजीत कौर 4—गुरविन्द्र कौर 5—अभयबचनसिंह 6—विजयबचनसिंह 7—सुदेश बलाना 8—हरप्रीतसिंह 9—रणजीतसिंह 10—बलजीत कौर 11—बलविन्द्रकौर 12—हरशेरसिंह 13—रूपजीतकौर 14—अमरजीत कौर 15—दलजीतसिंह 16—रूपेन्द्रजीतसिंह 17—तहसीलदार, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री भग्त सिंह उपस्थित है। अप्रार्थीगण कुलविन्द्रजीत सिंह, हरिन्द्रजीतकौर, रूपेन्द्रजीतसिंह के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह, अप्रार्थीगण गुरविन्द्रसिंह, अभयबचनसिंह, विजयबचनसिंह के अभिभाषक श्री मनीषकुमार गर्ग उपस्थित है। अप्रार्थीगण बलविन्द्रकौर, हरशेरसिंह, रूपजीतकौर, अमरजीतकौर, दलजीतसिंह के अभिभाषक श्री राजेश गुम्बर उपस्थित है। अप्रार्थी गुरजीतसिंह व उनके अभिभाषक श्री मदनलाल बंसल को आवाज लगवाई गई, किन्तु वे उपस्थित नही आये। उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण श्री कुलवंत सिंह, श्री मनीषकुमार गर्ग व श्री राजेश गुम्बर का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 1/2013 अनवानी गुरजीतसिंह आदि बनाम गुरविन्द्र कौर आदि धारा 88, 92ए, 183, 91 आरटीए मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियत के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 1/2013 अनवानी गुरजीतसिंह आदि बनाम गुरविन्द्र कौर आदि धारा 88, 92ए, 183, 91 आरटीए मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियत के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

459
28-2-17

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर